व्यपहरण (Kidnapping) व अपहरण (Abduction) के अपराध की विवेचना का योजना प्रारूप

व्यपहरण और **अपहरण** के अपराध के सम्बन्ध में **भा.द.वि.** की मुख्य रूप से निम्नलिखित धाराओं में विवरण दिया गया है:–

1.धारा 363 भा.द.वि.–किसी व्यक्ति का भारत से बिना उसकी **सम्मति** के या किसी **अवयस्क बालक या बालिका** को उसकी **विधि पूर्ण संरक्षता** से बिना **संरक्षक** की अनुमति के ले जाना।

2.धारा 363ए भा.द.वि.–जो कोई किसी अव्यस्क का इसलिये व्यपहरण करेगा कि ऐसा अवयस्क भीख माँगने के कार्य हेतु लगाया गया है।

3.**धारा 364 भा.द.वि.** किसी व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण उसकी हत्या करने के उद्देश्य से करना।

4.धारा 364ए भा.द.वि.–किसी व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण फिरौती प्राप्त करने के लिये करना।

5.धारा 365 भा.द.वि.–किसी व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण गुप्त रीति से सदोष परिरोध करने के लिये करना।

6.धारा 366 भा.द.वि.–किसी स्त्री का उसकी इच्छा के विरुद्ध उससे विवाह करने के लिये या बलात्कार करने के लिये बल पूर्वक या धोखे से व्यपहरण या अपहरण करना।

धारा 363/365/366 भा.द.वि. की विवेचना में विवेचक को क्या–क्या साक्ष्य एकत्रित करके केस डायरी में लेखबद्व करना चाहिये

1. वादी व गवाहों के कथन अंकित किये जायें।
2. अपहरण के **कारण का साक्ष्य** एकत्र करके **केस डायरी** में लेखबद्व करना।
3. निरीक्षण **घटना स्थल** किया जाये व **मानचित्र** बनाया जाये।
4. **आस–पास** रहने वाले **लोगों के कथन** अंकित किये जायें।

5.अपहृत को **बरामद** करने के लिये **प्रयास** किये जायें।

6.**अपहृत** के बरामद होने पर पफर्द बरामदगी लिखी जाये व गवाहान पफर्द बरामदगी के बयान लिखे जायें।

7.अपहृत की आयु के सम्बन्ध में **अभिलेखीय साक्ष्य** एकत्रा किया जाये।

8.अपहृत के बरामद होने पर **उसका डॉक्टरी परीक्षण निम्नलिखित बिन्दुओं** पर कराया जायेμ

- उसकी **आयु** जानने के बारे में।
- यदि वह **महिला** है, तो उसके **साथ बलात्कार** होने के बारे में।
- उसके **शरीर** पर **चोटों** के होने के **बारे में।**

9.अपहृत के बरामद होने के स्थान का निरीक्षण किया जाये व मानचित्रा बनाया जाये।

10.अपहृत के बरामद होने पर उसका **कथन न्यायालय** में धारा **164 दण्ड प्रक्रिया संहिता** में **लेखबद्ध** कराया जाये व उसी के आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जाये।

11.साक्ष्य के आधार पर धाराओं में परिवर्तन किया जाये **जैसे–धारा 368/376 भा.द.वि.** आदि की **बढ़ोत्तरी** करना।

12.**बरामद किये गये** अपहृत व्यक्ति **को उसके** घर वालों को लिख–पढ़कर सुपुर्द **किया जाये।**

13.अभियुक्त की **गिरफ्तारी** के बाद उसका **कथन** अंकित किया जाये।

14.उपलब्ध **साक्ष्य के आधार पर** विवेचना को **अन्तिम रूप** दिया जाये।

धारा 364/364ए भा.द.वि. के अपराध की विवेचना में विवेचक को निम्न साक्ष्य एकत्रित करके केस डायरी में लेखबद्ध करना चाहिये

1.इस प्रकार के अपराध की सूचना मिलते ही तत्काल **सीमावर्ती थानों व जनपदों** को सूचना देकर नाकाबन्दी व चे¯कग की व्यवस्था कराई जाये। यदि अभियुक्तों द्वारा किसी वाहन का प्रयोग किया गया है, तो उसका **नम्बर, मेक व रंग की भी सूचना** दी जाये ताकि वाहन को पकड़ने में आसानी हो जाये।

2.यदि अपहृत व्यक्ति के घर पर टेलीपफोन की सुविधा उपलब्ध हो, तो सम्बन्धित **एक्सचेंज व घर के फोन पर होशियार पुलिस कर्मियों को नियुक्त किया जाये जिससे आने वाले** टेलीफोन संदेश को चेक किया जा सके व नोट किया जा सके।

3.अपहृत के घर आये अपहरणकर्ताओं के **टेलीफोन टेप** किये जायें ताकि वे साक्ष्य में प्रयुक्त किये जा सकें।

4.अपहृत के घर का **टेलीफोन आब्जर्वेशन पर एक्सचेंज** में तत्काल रखवा दिया जाये जिससे यह पता लग सके कि **अपहृत व अभियुक्त** किस क्षेत्रा में हैं।

5.संदिग्ध अभियुक्त के मोबाइल फोन की निगरानी भी रखी जा सकती है और सेल्यूलर पफोन की कम्पनी से डाटा निकलवा कर उसकी समीक्षा करके भी अभियुक्त और अपराध के सम्बन्ध में क्षेत्रा की जानकारी की जा सकती है।

6.यदि मोबाइल **टेलीफोन** की सूचना के माध्यम से **अपराधियों के क्षेत्रा** की जानकारी हो जाये तो उस क्षेत्रा की **गोपनीय घेराबन्दी** की जाये व अभियुक्तों को तलाश किया जायें यह कार्य इलैक्ट्रानिक सखवलेन्स के द्वारा किया जा सकता है।

7.यदि यह क्षेत्रा अन्य जनपद में हो, तो उस जनपद के अधिकारियों की सहायता से निश्चित स्थान का पता लगाने में वहाँ की **स्थानीय पुलिस** व उसके **गोपनीय** सूत्राों की मदद प्राप्त की जाये।

8.यदि इस प्रकार के प्रयासों से अभियुक्त गिरफ्रतार हो जाते हैं, तो उनसे **गहन पूछताछ** की जाये और उसका उल्लेख केस डायरी में किया जाये।

9.यदि अभियुक्तों की गिरफ्रतारी के समय अपहृत व्यक्ति बरामद नहीं होता है, तो पकड़े गये **अभियुक्तों से पूछताछ** करके **अपहृत की उपस्थिति के ठिकानों** पर पुलिस बल भेजकर अपहृत को बरामद किया जाये।

10. इस प्रकार की विवेचना में अपहृत की बरामदगी हेतु जनपद की **स्पेशल टास्क फोर्स** की मदद ली जाये।

11. अपहृत व्यक्ति की **बरामदगी की फर्द** तैयार की जाये ताकि वह फर्द बरामदगी **साक्ष्य** में प्रयुक्त हो सके। इसकी नकल **केस डायरी** में की जाये।

12. अपहृत व्यक्ति की बरामदगी पर उसका **डॉक्टरी परीक्षण** कराया जाये।

13. अपहृत व्यक्ति का बयान **धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता में मजिस्ट्रेट** के समक्ष लेखबद्ध कराया जाये।

14. इस पूरी कार्यवाही में **गोपनीयता रखी** जाये।

15. जहाँ तक सम्भव हो **इस प्रकार के अपराध की विवेचना थाना प्रभारी स्वयं** करें।

16. उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर **आरोप पत्र** प्रेषित किया जाये।